सं. 89] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2004/वैशाख 29, 1926
No. 89] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2004/VAISAKHA 29, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2004

सं. टीएएमपी/22/2004-एमओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा मुरगांव पत्तन में बर्थ सं. 5ए और 6ए में अपने बहुउद्देशीय बल्क कार्गो टर्मिनल के लिए साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड द्वारा प्रभार्य अंतरिम प्रशुल्क, संलग्न आदेशानुसार, निर्धारित करता है।

प्रकरण सं. टीएएमपी/22/2004-एमओपीटी

साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) **आवेदक**

आदेश

(मई, 2004 के चौथे दिन पारित)

यह प्रकरण मुरगांव पत्तन में बर्थ सं. 5ए और 6ए में अपने बहुउद्देशीय बल्क कार्गो टर्मिनल के लिए दरों के निर्धारण हेतु साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. औपचारिक रूप से एबीजी गोवा पोर्ट लिमिटेड नाम से विदित साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड ने लाइसेंस प्राप्त परिसरों के हस्तांतरण की तारीख से 30 वर्षों के लिए बीओओटी आधार पर बल्क कार्गो बर्थ 5ए और 6ए के विकास, निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव के लिए मुरगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के साथ 11 अप्रैल, 1999 को लाइसेंस करार (एलए) किया है।

2.2. एसडब्ल्यूपीएल ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :

(i) प्रस्तावित बर्थों की कुल लम्बाई 450 मीटर है और इनकी परिकल्पना और निर्माण 150,000 डीडब्ल्यूटी तक के अन्तरीप आकार वाले पोतों को लाने के लिए किया गया है।

(ii) इन बर्थों में कोयला, पत्थरी कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, इस्पात उत्पादों, सीमेंट और सीमेंट उत्पादों जैसे बल्क कार्गो के प्रहस्तन का प्रस्ताव है।

(iii) लाइसेंस करार में इन बर्थों से 50 लाख मी.ट. प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटीशुदा मालभार विनिर्दिष्ट है।

(iv) इन बर्थों पर वाणिज्यिक प्रचालन लगभग मई, 2004 के अंत तक आरंभ कर देने का प्रस्ताव है और जनवरी, 2005 से सभी कार्गो प्रहस्तन प्रचालन पूरी तरह से मशीनों द्वारा किया जाएगा।

(v) लाइसेंस करार (एलए) की धारा 7.3 के अनुसार, लाइसेंस प्रदाता (एमओपीटी) बर्थ किराया प्रभारों को छोड़कर पत्तन देयताएं, पाइलट शुल्क, लंगरगाह प्रभार और अन्य कोई पोत संबंधी प्रभार वसूल करेगा। लाइसेंसधारी (अर्थात् मै. एसडब्ल्यूपीएल) बर्थ किराया और सभी कार्गो प्रहस्तन प्रभार वसूल करेगा।

2.3. इस परिप्रेक्ष्य में, एसडब्ल्यूपीएल ने बर्थ 5ए और 6ए के लिए बर्थ किराया प्रभार, बंदरगाह शुल्क प्रभार, भंडारण प्रभार, कार्गो प्रहस्तन प्रभार और धूल-निवारण एवं विविध सेवाओं के लिए अपना दरमान निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

3.1. अपनाई गई परामर्शी प्रक्रियानुसार, एसडब्ल्यूपीएल का प्रस्ताव एमओपीटी और संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिपत्रित किया गया है।

3.2. चूंकि परामर्शी प्रक्रिया के पूरा होने और प्रस्ताव की जांच करने में कुछ समय लगेगा और टर्मिनल प्रचालक ने वाणिज्यिक प्रचालनों को शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव किया है, इसलिए इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क को तदर्थ अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया है जो नई सुविधा पर लगाया जा सकता है।

4. सामान्यतः, जब विभिन्न महापत्तनों में नए निजी टर्मिनल अपने प्रचालन शुरू करते हैं, तब यह प्राधिकरण उनके लिए उनके आरंभिक चरण में संबंधित महापत्तन में प्रचलित दरों को अपनाने की अनुमति देते हुए अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था लागू करता रहा है। तत्पश्चात्, उनकी अनुमानित लागतों और निवेश स्थिति के आधार पर पृथक दरमान निर्धारित किया जाता है। यह दृष्टिकोण इस मामले में भी अपनाया जा सकता है।

5.1. प्रस्तावित प्रशुल्क मदों में से, प्रहस्तन प्रभारों को छोड़कर सभी सेवाओं के लिए दरें मुरगांव पत्तन न्यास के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में, एसडब्ल्यूपीएल को एमओपीटी के दरमान में निर्धारित तत्संबंधी दरों को अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था के रूप में अपनाने की सलाह दी जाती है।

5.2. प्रस्तावित प्रहस्तन प्रभार जहाज से कार्गो की उतराई से लेकर रेल की बोगियों पर लदाई तक और रेल की बोगियों से उतराई से लेकर जहाज पर कार्गो की लदाई की सेवाओं के लिए हैं। वर्तमान में, ये सेवाएं निजी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। चूंकि एमओपीटी के दरमान में इस सेवा के लिए कोई दर उपलब्ध नहीं है और यह प्रशुल्क व्यवस्था अंतरिम उपाय के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित प्रहस्तन प्रभार की अनुमति है।

6. परिणामस्वरूप, और ऊपर स्पष्ट किए गए कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल में प्रचालनों के लिए निम्नलिखित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था अनुमोदित करता है :

(i) बर्थ किराया, बंदरगाह शुल्क, भूमि किराया/भंडारण प्रभार और धूल-निवारण प्रभार एमओपीटी के दरमान में लागू दरों और शर्तों के अनुसार प्रभार्य होंगे।

(ii) कार्गो प्रहस्तन प्रभार निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रभार्य होंगे :

क्रम सं.	जिन्सों का विवरण	आयात/निर्यात के लिए दर (रुपए प्रति मी.ट.)
1.	कोयला	95.00
2.	धातुकर्मीय पत्थरी कोयला/पत्थरी कोयला/लकड़ी का कोयला	130.00
3.	चूना-पत्थर	130.00
4.	लौह अयस्क/लौह गुट्टिकाएं, कच्चा लोहा, स्पंज लोहा, एचबीआई	100.00
5.	धातु (सभी), धातु उत्पाद, इस्पात कुण्डलियां, सिल्लियां और स्क्रेप आदि	150.00
6.	ऊपर अविनिर्दिष्ट अन्य कोई शुल्क बल्क और सामान्य कार्गो	180.00

7. अंतरिम प्रशुल्क तत्काल प्रभावी होगा और तीन माह की अवधि अथवा अंतिम दरमान की अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/04-असाधा.]